न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री अनूप सिह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 17/2020 दर्ज दिनांक–13.07.2020

पिरोज कंवर पत्नी महीपाल जाति– राजपूत निवासी कारी, तहसील नवलगढ, जिला–झुझुंनू

– वादी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री अमर सिह शेखावत
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 10.03.2021

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम कारी की सरहद मे अवस्थित भूमि खाता सं. 494 के खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.5700 हैक्टर भूमि ख0 नं0 1436 रकबा 0.06000 है0 तथा भूमि ख. नं. 1437 रकबा 0.6600 है0 कुल कीता 3 कुल रकबा 1.8300 हैक्टर अवस्थित है, जिसमे वादीया का 55/183 हिस्सा है। इसी प्रकार कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड मे गलती से आवेदिका पिरोज कंवर का नाम पिरोज कंवर के बजाय फिरोज कंवर पत्नी महीपाल सिह दर्ज कर दिया गया, जिसके कारण से आवेदिका किसान योजनाओ का लाभ लेने से वंचित हो रही है। इसलिये राजस्व रिकार्ड मे फिरोज कंवर के स्थान पर पिरोज कंवर शुद्वि करवाने हेतु प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदिका को उक्त जमाबन्दी पटवारी हल्का से नकल दिनांक 10/7/2020 को प्राप्त करने पर पता चला कि आवेदिका का नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत इन्द्राज कर दिया है जबकि आवेदिका का आधार कार्ड, राशन कार्ड , भामाशाह कार्ड आदि मे मे पिरोज कंवर पत्नी महीपाल सिह के नाम से समस्त रिकार्ड बने हुये है। आवेदिका द्वारा ई–मित्र पर प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाभ लेने के लिये गया तब राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 10/7/2020 को प्राप्त करने पर भूप्रबन्ध विभाग द्वारा गलती से वल्दीयत गलत दर्ज कर दी गई। इसलिये नाम शुद्वि हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम के तहत पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

आवेदक व भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से अदालत हाजा को सुनवाई का पूर्ण अधिकार है। अतः प्रा0 पत्र दो रूपये कार्ट फीस पर मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदिका का नाम फिरोज कंवर के बजाय शुद्व कर पिरोज कंवर अंकीत करने का आदेश फरमाया जावे।

इत्यादी पर प्रार्थना पत्र दर्ज कर अनावेदक को तलब कर रिर्पोट प्राप्त की गई। अनावेदक तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट अनुसार , प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधारकार्ड , पेनकार्ड, मे पिरोज कंवर होना पाया गया है। अतः राजस्व रिकार्ड मे फिरोज कंवर के बजाय पिरोज कंवर किया जाना उचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड,पेन कार्ड,भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र आदी मे पिरोज कंवर पत्नी महीपाल सिह अंकित है। जिसकी ताईद/तस्दिक रिर्पोट तहसीलदार नवलगढ भू0अ0/21/539 दिनांक 22/2/2021 से भी होती है। राज. पैरोकार तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया का नाम दुरूस्त करने की सहमति प्रदान की गई है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम ग्राम कारी की सरहद मे अवस्थित भूमि खाता सं. 494 के खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.5700 हैक्टर भूमि ख0 नं0 1436 रकबा 0.06000 है0 तथा भूमि ख. नं. 1437 रकबा 0.6600 है0 कुल कीता 3 कुल रकबा 1.8300 हैक्टर अवस्थित है, जिसमे प्रार्थीया का 55/183 हिस्सा मे अंकित नाम फिरोज कंवर के बजाय शुद्व कर पिरोज कंवर शुद्व किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.03.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner